न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 104 / 2019

1 रिछपाल सिंह पुत्र भींवाराम।
2 फूलचन्द पुत्र भींवाराम।
3 मोहनलाल पुत्र भींवाराम।
4 लक्ष्मीनारायण पुत्र भींवाराम।
5 उर्मिला पुत्री भींवाराम।
6 झुमा देवी पुत्री भींवाराम।
7 तोफू देवी पुत्री भींवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गिरधारी सिंह का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

बनाम

1 रूड़ाराम पुत्र भूराराम।
2 प्रभातीलाल उर्फ प्रभात पुत्र भूराराम समस्त जाति जाट निवासीगण बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन एंव विधिक आपत्ति

उपस्थिति :

1. श्री झाबरमल रॉयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेशवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः–05.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 09 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कैवियट होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया एवं उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट अजनबी नही है माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भींवाराम को खातेदार घोषित करने आदेश है वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। स्थगन आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना धारा 96 सीपीसी के आवेदन के बिना प्रस्तुत की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अपील आदेश 41 नियम 3 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था। अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहे बिना यह अपील प्रस्तुत की है। इसके साथ ही अपीलांट ने अपील में विचारण न्यायालय के आवेदन में अंकित समस्त पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने से एवं आदेश 41 नियम 3 सीपीसी के तहत पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर